न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —17 / 2024 (अपील)

GCMS No.- 2024 / 36

1. बाबूलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति कुम्हार
2. प्रेमबाई पत्नी श्री बाबूलाल जाति कुम्हार निवासीगण हनुमानगढी कच्ची बस्ती कुन्हाडी कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. दीपक पुत्र बाबूलाल जाति कुम्हार
2. सोनू पुत्र बाबूलाल जाति कुम्हार निवासीगण हनुमानगढी कच्ची बस्ती कुन्हाडी कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम विरूद्व निर्णय दिनांक 30.1.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजि0 कोटा प्रकरण संख्या 33 / 2023

उपस्थितः—

1. श्री एल0एस0 राजपूत अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांक—06.05.2024

1 प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल कोर्ट न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 30.01.2024 को आदेश दिया है कि—" प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण को मकान में शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, दुर्व्यवहार एवं गाली गलोच नहीं करें । उक्त कृत्य ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करें ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

2. उक्त आदेश दिनांक 30.01.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28.02.2024 को प्रस्तुत की है कि प्रार्थीगण कुन्हाडी कोटा के स्थायी निवासी है ओर सीनियर सिटीजन है, अपने पुत्र मनोज के परिवार के साथ शांतिपूर्वक निवास कर रहे है, प्रार्थीगण के चार पुत्र राजेन्द्र,दीपक, सोनू, मनोज व दो पुत्रीयां आशा व उषा है, सभी का विवाह हो चुका है । प्रार्थी नं0 1 बी एस एन एल से फोन मेकेनिक पद से सन 2016 में रिटायर हो चुका है, प्रार्थीगण अपने चोथे नम्बर के पुत्र मनोज के साथ निवास कर रहे है तथा अप्रार्थी कम 1 व 2 दीपक व सोनू अपने परिवार पत्नी व बच्चों के साथ प्रार्थीगण के स्वामित्व के मकान स्थित कुन्हाडी कोटा में दो दो कमरों में निवास कर रहे है उक्त मकान प्रार्थी द्वारा अपनी नोकरी ओर मेहनत कर अपनी स्वअर्जित आय से मकान का स्वयं निमार्ण कराया जिसका पट्टा रजिस्ट्री प्रार्थी के नाम है । अप्रार्थी कम 1 व 2 प्रार्थीगण के पुत्र है जो कि प्रार्थीगण को झूंठे केसों में फसाने की धमकियां देते है, आये दिन प्रार्थीगण के साथ मारपीट करते है, अप्रार्थी 1 व 2 शराब पीने के आदी है जो शराब पीकर लडाई झगडा करते है । तथा अप्रार्थी 1 व 2 आपस में भी लडाई झगडा करते है, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के मकान पर कब्जा कर प्रार्थीगण को बेघर करना चाहते है । अप्रार्थीगण के व्यवहार से तंग

जिला कलेक्टर
कोटा

आकर प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण को उनके मकान से बेदखल करने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था, उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तथ्यों पर गौर न करते हुए खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किया गया । रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है । रेस्पोडेन्ट के अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की जाकर वकील अपीलांन्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वर्णित किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज ओर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये, जबकि अपीलांट द्वारा उक्त वर्णित मकान के संबंध में अपीलांट क्रम 1 के पक्ष में पट्टा रजिस्ट्री के दस्तावेज पेश किये गये है, जिनसे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि अपीलांट क्रम 1 उक्त मकान का मालिक स्वामी है तथा रेस्पो. अपीलांट को परेशान करते है, शांतिभंग करते है, मारपीट करते है यातनाएं देते है, मकान से बेदखल करने पर आमादा है, इसके संबंध में अपीलांट ने रेस्पो0 के विरूद्व तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा के यहां 107,116(3) सीआरपीसी की कार्यवाही की जिसमें रेस्पो0 को गिरफ्तारी वारंट जारी है, दिनांक 20.9.2022 को रेस्पो0 के विरूद्व पुलिस अधीक्षक शहर कोटा को परिवाद भी पेश किया गया, इस प्रकार अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में पर्याप्त दस्तावेज व साक्ष्य पेश करने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों की अनदेखी करते हुए उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रार्थीगण अपीलांट जो कि सीनियर सिटीजन है, जिनको रेस्पो0 द्वारा जो अपीलांट के पुत्र है के द्वारा परेशान किया जा रहा है, प्रताडित किया जा रहा है, मारपीट की जाती है, शांतिभंग कर रखी है ऐसी स्थिति में अधिनियम के तहत उनको मकान से बेदखल किया जाना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अधिनियम की अनदेखी करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने में कानूनी त्रुटि की है जो अपास्त किये जाने योग्य है । उक्त वादग्रस्त मकान अपीलांट द्वारा नोकरी व मेहनत कर स्वर्जित आय से मकान बनाया है जो स्वयं द्वारा निमार्ण कराया है जिसका पट्टा भी अपीलांट के नाम है जिसमें रेस्पोडेन्टगण को रहने के लिए 2–2 कमरे उपलब्ध करवा रखे है किन्तु रेस्पोडेन्टगण उक्त मकान से अपीलांटगण को बेदखल कर कब्जा करना चाह रहे है, तथा अपीलांटगण से आये दिन लडाई झकड़ा करते है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 30.1.2024 को अपास्त किया जाये तथा रेस्पो0 को अपीलांट के स्वामित्व वाले मकान हनुमानगढी कच्ची बस्ती कुन्हाडी कोटा से बेदखल किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

5. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2024 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 28.02.2024 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है । अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के मकान से बेदखल किये जाने का पेश किया था । अप्रार्थीगण रेस्पो0 अधीनस्थ न्यायालय में भी उपस्थित नहीं हुए तथा उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया था कि प्रार्थी द्वारा पर्याप्त दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है । हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन जिसमें अपीलांट के नाम नगर निगम कोटा द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है, किन्तु इससे यह साबित नहीं हो जाता कि यह मकान अपीलांट द्वारा ही अपनी स्वअर्जित आय से निर्मित किया हो । अपीलांट द्वारा अपील धारा 16 वरिष्ठ नागरिकों

जिला कलेक्टर
कोटा

का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत पेश की है, अधिनियम के तहत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं उनके कल्याण का प्रावधान है, अपीलांटगण द्वारा भरण पोषण की मांग नहीं की है अपितु अपने चार पुत्रों में से दो पुत्रों को ही बेदखल करने की प्रार्थना की है । रेस्पोडेन्टगण की बेदखली बाबत ऐसा कोई तर्क एवं न्यायिक दृष्टान्त पेश नहीं किये है, जिस आधार पर रेस्पोडेन्टगण को वादग्रस्त मकान से बेदखल किया जा सकें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित प्रतीत होता है ।

6. अतः अपीलांट द्वारा अपील में चाहा गया अनुतोष स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं होने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.01.2024 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

7. निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा